विविध **बैंक प्रकरण संख्या 88/2020(GCMS : 2020/00239) एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. पूर्व में एयू फाईनेसेरस इंडिया (लि.) रजि.** ऑफिस 19 ए धूलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर 3020001 स्थानीय ऑफिस रविन्द्र पथ श्रीगंगानगर द्वारा अधिकृत **बनाम 1. शम्भूदयाल पुत्र मादूराम** निवासी बेरीवाले बाग के पास, वार्ड नं. 6, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर **2. कविता पत्नी शम्भूदयाल** निवासी बेरीवाले बाग के पास, वार्ड नं. 6, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। द्वितीय पता प्लॉअ नं. 23 किल्ला नं. 4, मु.नं., गली 25, 78 चक 25 बी वार्ड नं. 6, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर **3. किशन कुमार पुत्र श्री हरिचंद** निवासी 138, पालाराम विद्यालय के पीछे वाली गल, वार्ड नं 16, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.03.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री संजय भाटिया, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. पूर्व में एयू फाईनेंसेरस इंडिया (लि.) रजि ने अप्रार्थी शम्भू दयाल, कविता एवं किशन कुमार द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कविता द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नं. 23(पैमाईशी 1000 वर्गफीट) किल्ला नं. 4, मु.नं. गली 25, 78 चक 25 बी वार्ड नं. 6, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.10.2020 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्यवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:30:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 23.10.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. पूर्व में एयू फाईनेंसेरस इंडिया (लि.) रजि. के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कविता द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नं. 23(पैमाईशी 1000 वर्गफीट) किल्ला नं. 4, मु.नं. गली 25, 78 चक 25 बी वार्ड नं. 6, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का ई–मेल भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. पूर्व में एयू फाईनेंसेरस इंडिया (लि.) रजि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:18 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर